संख्या: 23/2020/582/छप्पन-2020-31/2016(SIAS)

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कलैक्टर,
गौतमबुद्धनगर।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च, 2020

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के स्थापन हेतु ग्राम जेवर बांगर की 48.097 है0 भूमि के सम्बन्ध में नामित एजेन्सी गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई एवं विशेषज्ञ समूह द्वारा अनुमोदित सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) रिपोर्ट पर अनुमोदन प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-482/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0)/नौ0ग्री0अ0ए0जे0/गौ0बु0न0 दिनांक 18 फरवरी, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद गौतमबुद्धनगर में जेवर के निकट अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना हेतु **भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013** के अन्तर्गत भूमि अर्जन/अधिग्रहण के मामले में अधिनियम की धारा-4 में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत नागरिक उड्डयन अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1664/छप्पन-2019-31/2016 दिनांक 27 अगस्त, 2019 द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIAS) हेतु गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नॉएडा (गौतमबुद्धनगर) को नामित किया गया था। सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु अधिनियम की धारा-7(1) के अन्तर्गत राजस्व अनुभाग-13 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-253/एक-13-2018-5क(25)/ 2018टी0सी0 दिनांक 10 अप्रैल, 2018 एवं तत्क्रम में नागरिक उड्डयन अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-105/2019/ 2091/छप्पन-2019-31/2016 दिनांक 14 नवम्बर, 2019 द्वारा एक बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था।

3- नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्राम जेवर बांगर की 48.097 है0 भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात निर्धारण (SIA) हेतु नामित उपर्युक्त एजेन्सी द्वारा तैयार सामाजिक समाघात निर्धारण और सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना की अन्तिम रिपोर्ट जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा पत्र दिनांक 01 जनवरी, 2020 के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराई गई। इस रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु विशेषज्ञ समूह एवं अन्य सम्बन्धित सदस्यों की दिनांक 10 जनवरी, 2020 एवं दिनांक 08 फरवरी, 2020 को बैठक सम्पन्न हुई। विशेषज्ञ समूह द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट (SIA) का यथाप्रक्रिया मूल्यांकन करके अपनी संस्तुतियां दिनांक 13 फरवरी, 2020 को राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गईं।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- **विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट/संस्तुतियों में यह कहा गया है कि प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट हेतु आवश्यक भूमि 48.097 हैक्टेयर Absolute bare minimum (अति न्यूनतम) है तथा इससे कम सीमा तक विस्थापित किए जाने सम्बन्धी अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है।**

5- जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर के पत्र दिनांक 06 मार्च, 2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि विशेषज्ञ समूह की संस्तुतियां स्थानीय स्तर पर प्रकाशित होने के उपरान्त प्रभावित भू-स्वामियों से कोई आपत्ति/फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ है।

6- नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के लिए भूमि अर्जन/अधिग्रहण से सम्बन्धित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIAS) एवं उस पर बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की मूल्यांकन रिपोर्ट/संस्तुतियों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 11 मार्च, 2020 को सम्पन्न बैठक में प्रस्तुतीकरण किया गया तथा सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। सम्यक् विचारोपरान्त सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन (SIAS) एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना (SIMP) के यथाप्रक्रिया अनुमोदन की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए गए है।

7- उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना हेतु **'भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013'** के अध्याय-2 की धारा-8 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट को एतद्द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित किया जाता है।

8- **भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-8(3) में दी गई व्यवस्थानुसार समुचित सरकार का विनिश्चय, यथास्थिति, पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम को तथा जिला कलैक्टर, उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा तहसील कार्यालयों में स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा और प्रभावित क्षेत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित किया जाएगा और समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।** तद्नुसार कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की स्वीकृति के उपरान्त शासन के विनिश्चयानुसार प्रकाशन/ वेबसाइट पर प्रकाशन की कार्यवाही सम्पादित की जानी है।

9- अत: अनुरोध है कि कृपया शासन के विनिश्चयानुसार अधिनियम में विहित प्रावधानान्तर्गत जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना/विकास के लिए भू-अर्जन विषयक अधिसूचना के निर्गमन/ प्रकाशन हेतु निर्धारित प्रारूप पर प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0- 23/2020/582(1)/छप्पन-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर ।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर ।
6. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निदेशक, भूमि अध्याप्ति, उ0प्र0, लखनऊ ।
9. निदेशक, नागरिक उड्डयन,उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे प्रश्नगत प्रकरण में अधिनियम में विहित व्यवस्थानुसार शासन के विनिश्चय को समुचित सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
10. विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र भाटिया)/नोडल अधिकारी जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।